न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
अपील/टीए/4356/2018/भरतपुर

कुंजीलाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद जाति स्वर्णकार निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

——अपीलांट

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बयाना।
2. अध्यक्ष नगर पालिका, बयाना।
3. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, भरतपुर।
4. तहसीलदार, बयाना तहसीलदार बयाना।

——रेस्पोडेंट्स

खण्डपीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अपीलांट की ओर से।
श्री हनुमान प्रसाद, उप राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 01—02—2023

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं0 53/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08—03—2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। उपरोक्त अराजीयात का अपीलांट सम्वत 2012 से पूर्व से खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। उक्त रकबा की भी गैरमुमकिन नाला नहीं रहा है और न इस समय है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज होता चला आ रहा है तथा उक्त आराजी के चारो ओर अपीलांट व उसकी पत्नि की खातेदारी के खेत है, इसलिए उक्त रकबा अपीलांट की काश्त में होने के कारण अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः अपीलांट वादी को को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। दावे का नोटिस प्रतिवादीगण पर तामिल होने पर रेस्पो0 सं0 1 लगायत 2 ने जवाब प्रस्तुत कर दावे के तथ्यों से इंकार किया व आराजी मुतनाजा को नगर पालिका बयाना के खाते में दर्ज करने बाबत जानकारी दी जिस पर नगर पालिका बयाना ने भी जवाब प्रस्तुत कर उक्त भूमि का सिवाय चक होने के कारण वादी का वाद निरस्त

करने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनते हुए दिनांक 05–07–2005 को रेस्पो0 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। इसके बाद नगर पालिका की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर अपीलांट के वाद को निरस्त करने का निवेदन किया जिस पर दिनांक 17–12–2007 को वाद को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23–10–2008 को अपील स्वीकार कर प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रकरण रिमांड कर दिया। इसके बाद दिनांक 09–05–2012 को पुनः अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध पुनः एक अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–03–2018 को अपील को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समथ प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों / स्थगन प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी पर अपीलांट का 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी अपीलांट के खेतों के बीच में स्थित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की आड़ में अपीलांट्स को विवादित आराजी से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी सं0 4 पर विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की कोई विवेचना अपने निर्णय में नहीं कर अपीलांट का कब्जा विवादित आराजी पर 2012 से पूर्व का होने के कारण वाद / वादी पूर्णतया साबिक था फिर भी वादीगण के वाद को बिना आधारों के खारिज कर कानूनी त्रुटी की है। अंत में स्थगन प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर निगरानीधीन निर्णय व डिक्री की पालना स्थगित कर विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की ओर से अपीलाधीन निर्णय/डिक्री को विधिसम्मत बताते हुए अपील को इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक गैर मुमकिन नाला दर्ज है। विवादित आराजी पर वादी/अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण है। ऐसी भूमि पर वादी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद मेंटनेबेल नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य पाए जाने से खारिज किया गया है जिसकी अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होंने भी अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 08–03–2018 को तनकीवार विस्तृत विवेचन पारित कर विवादित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक गैर मुमकिन नाला अंकित है, मानते हुए अपील को खारिज कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–06–2012 को यथावत रखा गया है। चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विस्तृत, समवर्ती, विधिसम्मत होने से हस्तगत अपील में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप हस्तगत अपील एडमिशन स्तर पर ही खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत द्वितीय अपील एडमिशन स्तर पर ही सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य